HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1826/2024
CNR: RJHC020888622024 | URN: CRLR / 3195U / 2024

1. Madanlal Son Of Sharvanlal, Resident Of Basdi Khurd Police Station Renwal District Jaipur.
2. Sagarmal Son Of Dhanna Lal, Resident Of Basdi Khurd Police Station Renwal District Jaipur.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The P.p.
2. Harsahay Son Of Shri Danaram Jat, Resident Of Basdi Khurd Police Station Renwal District Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP Mr. Anutosh Mishra Mr. Ashish Mishra

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/10/2026

उक्त पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा धारा 438 सपठित धारा 442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या (09/2021) 45/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2024 को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त आदेश द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा अभियोग प्रस्तुत होने के उपरांत, याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 304

Digitally signed by
RAMESHWAR
PRASAD
Date: 2026.10.31
14:12:52 IST

सपठित धारा 120–बी भारतीय दंड संहिता व धारा 195 सपठित धारा 120–बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत याचिकाकर्ता को 5000/– रुपये के जमानती वारंट के जरिए आहूत तलब करने के निर्देश दिए गए थे। इस संदर्भ में संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था व धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रसंज्ञान आदेश पारित नहीं किया गया है, उत्तरोत्तर संबंधित सेशन न्यायालय द्वारा उक्त प्रसंज्ञान लिया जाना विधि अनुरूप नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि उक्त आदेश धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संबंधित सेशन न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्री के आधार पर पारित किया गया है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने के कोई न्यायोचित आधार नहीं हैं। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा धर्मपाल व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या–148/2003 में पारित निणर्य दिनांक 18.07.2013 का अवलंब लिया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मपाल वगैराह बनाम हरियाणा सरकार व अन्य MANU/SC/0720/2013 के पैरा संख्या 27 में यह निर्धारित किया है कि सेशन न्यायालय को धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के संदर्भ में प्रसंज्ञान लिए जाने की शक्ति प्राप्त है और इन्हीं शक्तियों के अध्याधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उपरोक्त आदेश पारित किया गया है। इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल्लू नट बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या– 10010/2025 में पारित निणर्य दिनांक 05.08.2025 के पैरा संख्या 103 में यह मत प्रतिपादित किया है कि धारा 193 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय को ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों को आहूत करने की शक्ति प्राप्त है जिसकी अपराध के संदर्भ में प्रथमदृष्टया संबद्धता प्रकट हुई है। उक्त प्रकरण में यह भी माना है कि ऐसे रूप से आहूत अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति हेतु आदेशित करने के प्रसंज्ञान की आनुसांगिकता है।

अतः उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के कोई न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

41/RAMESHWAR PRASHAD